Regd. No. CHD/0093/2012-2014

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, SUNDAY, SEPTEMBER 8, 2013
(BHADRA 17, 1935 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 8th September, 2013

No. 27—HLA of 2013/70.—The Hayana Registration and Regulation of Societies (Amendment) Bill, 2013, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 27—HLA of 2013

THE HARYANA REGISTRATION AND REGULATION OF SOCIETIES (AMENDMENT) BILL, 2013

A

Bill

further to amend the Hayana Registration and Regulation of Societies Act, 2012.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows :-

1. This Act may be called the Hayana Registration and Regulation of Societies (Amendment) Act, 2013. Short title.

2. In section 9 to the Haryana Registration and Regulation of Societies Act, 2012 (hereinafter called the principal Act),— Amendment of section 9 of Haryana Act 1 of 2012

(i) for sub-section (4), the following sub-section shall be substituted, namely :-

"(4) Every existing Society shall apply in the prescribed proforma to the District Registrar for obtaining a new registration number within a period of two years or such further period, hereinafter referred to as extended period, as may be notified by the Government. If the new registration number is not applied within two years as mentioned above, then the application for the new registration number shall be made alongwith such fee, as may be prescribed, within such extended period, as notified by the Government. If a Society fails to move an application for the new registration number even within such extended period, the registration may be cancelled." ;

(ii) after sub-section (4), the following sub-section shall be added, namely:-

"(5) A Society registered under this Act, may seek its de-registration, if it so desires to register itself as a Trust under the Indian Trusts Act, 1882 (Central Act 2 of 1882), by making an application to the District Registrar in this behalf. The application shall contain the grounds for de-registration duly approved by the Society through a special resolution. The District Registrar may de-register such Society, if satisfied. If the District Registrar is not satisfied, he shall pass an order in this behalf within a period of thirty days specifying the reasons thereof.".

Amendment of section 29 of Haryana Act 1 of 2012.

3. In section 29 of the principal Act,

(i) in sub-section (3), for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted; and

(ii) after sub-section (3), the following provisos shall be inserted, namely:-

"Provided that in case the meeting of General Body is adjourned for want of the quorum, the quorum for an adjourned meeting shall not be less than twenty-five percent of the members entitled to vote and present in person subject to a minimum of four:

Provided further that in case such meeting is adjourned for a second time for want of the reduced quorum of twenty-five percent, the quorum for such adjourned meeting shall be fifteen percent of the members entitled to vote and present in person subject to a minimum of four.".

4. In section 32 of the principal Act,– Amendment of section 32 of Haryana Act 1 of 2012.

(i) in sub-section (3), for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted; and

(ii) after sub-section (3), the following provisos shall be inserted, namely:–

"Provided that the electoral college once constituted shall remain intact, save requisite adjustments on account of cessation of members or addition of new members , for a period of fifteen years or more, as may be decided by the Society through a special resolution:

Provided further that when it is not feasible to adjust the members inducted after initial determination of electoral colleges within the existing colleges without disturbing the permissible average strength of a college, the Governing Body may create addition college subject to the strength of new members being at least fifty per cent of the average membership of one college. The action taken by the Governing Body in this behalf shall be got ratified from the Collegium in its next meeting:

Provided further that a Society may recast/re-determine the electoral colleges through a revised scheme on expiry of fifteen years period subject to the condition that any such re-determination of electoral colleges shall be taken up at least six months prior to the election of the Collegium. The revised scheme of determination of electoral college shall also be got approved as per provisions of this Act. ".

5. In sub-section 5 of section 33 of the principal Act, – Amendment of section 33 of Haryana Act 1 of 2012.

(i) for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted; and

(ii) the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that the District Registrar shall take a decision regarding the approval or rejection of the constitution of the Governing Body within a period of thirty days of filing the list of elected office bearers as specified under sub-section (2), failing which the constitution of the Governing Body of the Society shall be deemed to have been approved. In case of rejection, the District Registrar shall record the reasons for doing so and pass an order in this regard.".

Amendment of section 40 of Haryana Act 1 of 2012

6. For sub-section (1) of section 40 of the principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely,--

"(1) Where a dispute or doubt arises with regard to election or continuance in office of any elected member in a collegium, the District Registrar or at least one fourth members of the General Body and where a dispute or doubt arises with regard to election or continuance of any members in the Governing Body, the District Registrar and if there is need to constitute the collegium, then the District Registrar or at least one fourth members of the collegium, may refer to the dispute or doubt by moving a reference or petition before the Registrar within thirty days from the date of declaration of result and the Registrar shall decide the same and pass such orders, as he may deem fit, preferably within a period of ninety days but not later than one hundred twenty days.".

Substitution of section 85 of Haryana Act 1 of 2012.

7. For section 85 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:

"85. Exemptions.- The Government may, by general or special order, keeping in view special circumstances and larger public interest, exempt any Society or class of Societies from any of the provisions of the Act:

Provided that any such exemption shall be granted only in respect of the provisions specified in such order and no exemption shall be granted in respect of whole of the Act and, except for the provisions from which exemption has been granted, all other provisions shall be applicable to such exempted Societies.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Haryana Registration and Regulation of Societies Act, 2012 was notified on 28th March, 2012 vide No. Leg.3/2012 and came into force w.e.f. 29th March, 2012 vide Notification No. S.O. 26/HAI/2012/S.1/2012 dated 29th March, 2012. Further the Rules in this behalf were framed and notified vide No. S.O. 51/HA1/2012/S.87/2012 dated 21st June, 2012 for the guidance of the Stakeholders.

2. The Registration and Regulation of Societies Act, 2012 in the State of Haryana is being carried out through the Registrar general, State Registrar and the District Registrars appointed in this behalf. During the initial period of the implementation of the Act and the Rules made thereunder, feedback has been received from various stakeholders pointing out the difficulties being faced at various levels in the implementation.

3. The said feedback has been taken into consideration and it has been imperative to introduce certain amendments in the Act, so as to make the same compatible with the objectives.

4. This bill provides for amendments in various sections and seeks to establish a better frame work with the objective to provide clear guidelines for smooth administration and management of the affairs of the Societies registered under this Act in the State of Haryana.

RANDEEP SINGH SURJEWALA,
Industries & Commerce Minister, Haryana.

Chandigarh :
The 8th September, 2013.

SUMIT KUMAR,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2013 का विधेयक संख्या 27 - एच०एल०ए०

हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2013

हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम, 2012 को आगे संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2013, कहा जा सकता है।

2012 के हरियाणा अधिनियम 1 की धारा 9 का संशोधन।

2. हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम, 2012 (जिसे, इसमें, इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 9 में,-

(i) उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"(4) प्रत्येक विद्यमान सोसाइटी दो वर्ष की अवधि या ऐसी और अवधि जिसे, इसमें, इसके बाद, बढ़ाई गई अवधि के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, के भीतर नई रजिस्ट्रीकरण संख्या प्राप्त करने के लिए जिला रजिस्ट्रार को विहित प्रोफार्मा में आवेदन करेगी। यदि नई रजिस्ट्रीकरण संख्या के लिए उपरोक्त यथावर्णित दो वर्ष की अवधि के भीतर आवेदन नहीं किया है, तब नई रजिस्ट्रीकरण संख्या के लिए आवेदन सरकार द्वारा यथा अधिसूचित ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर, यथाविहित ऐसी फीस सहित किया जाएगा। यदि सोसाइटी ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर नई रजिस्ट्रीकरण संख्या के लिए आवेदन करने में असफल रहती है, तो रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया जाएगा।";

(ii) उपधारा (4) के बाद, निम्नलिखित उपधारा जोड़ी जाएगी, अर्थात् :-

"(5) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी, यदि वह भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का केन्द्रीय अधिनियम 2) के अधीन न्यास के रूप में अपने आप को रजिस्टर कराने के लिए इस प्रकार इच्छुक है, तो इस निमित्त जिला रजिस्ट्रार को आवेदन करते हुए अपना अरजिस्ट्रीकरण करवा सकती है। आवेदन में विशेष संकल्प के माध्यम से सोसाइटी द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित अरजिस्ट्रीकरण के लिए आधार अन्तर्विष्ट होंगे। जिला रजिस्ट्रार, यदि सन्तुष्ट हो जाता है, तो ऐसी सोसाइटी को अरजिस्टर कर सकता है। यदि जिला रजिस्ट्रार सन्तुष्ट नहीं होता है, तो वह उसके

कारण विनिर्दिष्ट करते हुए तीस दिन की अवधि के भीतर इस निमित्त आदेश पारित करेगा।"।

3. मूल अधिनियम की धारा 29 में,– 2012 के हरियाणा अधिनियम 1 की धारा 29 का संशोधन।

(i) उपधारा (3) में, अंत में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, ":" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा

(ii) उपधारा (3) के बाद, निम्नलिखित परन्तुक रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"परन्तु यदि सामान्य निकाय की बैठक गणपूर्ति के अभाव के लिए स्थगित की जाती है, तो स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति न्यूनतम चार सदस्यों के अध्यधीन मत के हकदार तथा वैयक्तिक रूप में उपस्थित सदस्यो का कम से कम पच्चीस प्रतिशत होगी :

परन्तु यह और कि यदि ऐसी बैठक पच्चीस प्रतिशत की कम गणपूर्ति के अभाव के लिए दूसरी बार के लिए स्थगित की जाती है, तो ऐसी स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति न्यूनतम चार सदस्यों के अध्यधीन मत के हकदार तथा वैयक्तिक रूप में उपस्थित सदस्यों की पन्द्रह प्रतिशत होगी।"।

4. मूल अधिनियम की धारा 32 में,– 2012 के हरियाणा अधिनियम 1 की धारा 32 का संशोधन।

(i) उपधारा (3) में, अंत में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, ":" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा

(ii) उपधारा (3) के बाद, निम्नलिखित परन्तुक रखे जाएंगे, अर्थात् :

"परन्तु एक बार गठित निर्वाचकगण, विशेष संकल्प के माध्यम से सोसाइटी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट पन्द्रह वर्ष या अधिक की अवधि के लिए सदस्यों के न रहने या नए सदस्यों के संयोजन के कारण अपेक्षित समायोजन के सिवाय, अविकल रहेगा :

परन्तु यह और कि जब कालेज की अनुज्ञेय औसत संख्या बाधा डाले बिना विद्यमान कालेज के भीतर निर्वाचकगण के प्रारम्भिक निर्धारण के बाद भरती सदस्यों का समायोजन करना संभव नहीं है, तो शासकीय निकाय एक कालेज की औसत सदस्यता के कम से कम पचास प्रतिशत होने के कारण नए सदस्यों की संख्या के अध्यधीन अतिरिक्त कालेज सृजित कर सकता है। इस निमित्त शासकीय निकाय द्वारा की गई कार्रवाई इसकी अगली बैठक में कॉलिजियम से अभिपुष्ट करवाई जाएगी:

परन्तु यह और कि सोसाइटी पन्द्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति पर पुनरीक्षित स्कीम के माध्यम से निर्वाचकगण पुनः बना/पुनः निर्धारण इस शर्त के अध्यधीन कर सकती है कि निर्वाचकगण का ऐसा पुनः निर्धारण कॉलिजियम के निर्वाचन से कम से कम छह मास पूर्व किया जाएगा। निर्वाचकगण के निर्धारण की पुनरीक्षित स्कीम इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अनुमोदित भी करवाई जाएगी।"।

2012 के हरियाणा अधिनियम 1 की धारा 33 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 33 की उपधारा (5) में,–

(i) अंत में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, ":" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा

(ii) उपधारा (5) के बाद, निम्नलिखित परन्तुक जोड दिया जाएगा, अर्थात् :–

"परन्तु जिला रजिस्ट्रार उपधारा (2) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट निर्वाचित पदाधिकारियों की सूची फाइल करने की तीस दिन की अवधि के भीतर शासकीय निकाय के गठन की स्वीकृति या अस्वीकृति के बारे में निर्णय करेगा, जिसमें असफल होने पर सोसाइटी के शासकीय निकाय का गठन स्वीकृत किया गया समझा जाएगा। अस्वीकृति के मामलों में, जिला रजिस्ट्रार ऐसा करने के कारण अभिलिखित करेगा तथा इस सम्बन्ध में आदेश पारित करेगा।"।

2012 के हरियाणा अधिनियम 1 की धारा 40 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"(1) जहां किसी कॉलिजियम में निर्वाचन या किसी निर्वाचित सदस्य के पद पर बने रहने के बारे में कोई विवाद या संदेह उत्पन्न होता है, वहां जिला रजिस्ट्रार या सामान्य निकाय के कम से कम एक चौथाई सदस्य तथा जहां शासकीय निकाय में निर्वाचन या किन्हीं सदस्यों के बने रहने के बारे में कोई विवाद या संदेह उत्पन्न होता है, वहां जिला रजिस्ट्रार तथा यदि कॉलिजियम के गठन की आवश्यकता है, तब जिला रजिस्ट्रार या कॉलिजियम के कम से कम एक चौथाई सदस्य परिणाम की घोषणा की तिथि से तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार के सम्मुख संदर्भ या याचिका करते हुए विवाद या संदेह को निर्दिष्ट कर सकता है तथा रजिस्ट्रार उसका निर्णय अधिमानतः नब्बे दिन की अवधि के भीतर किन्तु एक सौ बीस दिन के बाद नहीं, करेगा तथा ऐसे आदेश पारित करेगा जो वह उचित समझे।"।

2012 के हरियाणा अधिनियम 1 की धारा 85 का प्रतिस्थापन।

7. मूल अधिनियम की धारा 85 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"85. छूट.– सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, विशेष परिस्थितियों तथा विस्तृत लोकहित के दृष्टिगत अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों से किसी सोसाइटी या सोसाइटियों के वर्ग को छूट दे सकती है :

परन्तु कोई ऐसी छूट केवल ऐसे आदेशों में विनिर्दिष्ट उपबन्धों के सम्बन्ध में प्रदान की जाएगी तथा कोई भी छूट सम्पूर्ण अधिनियम के सम्बन्ध में तथा, उपबन्ध जिस पर छूट प्रदान की गई है को छोडकर, प्रदान नहीं की जाएगी, सभी अन्य उपबन्ध ऐसी छूट प्राप्त सोसाइटियों को लागू होंगे।"।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम, 2012 की अधिसूचना 28 मार्च, 2012 को नं० लैज 3/2012 को अधिसूचित किया गया था व यह 29 मार्च, 2012 को अधिसूचना नं० का० आ०26/ह० अ०1/2012/ध०1/2012 से लागू हो गया था। इसके पश्चात् इस बारे नियम भी अधिसूचना नं० का० आ० 51/ह० अ०1/2012/ध० 87/2012 दिनांक 21 जून, 2012 द्वारा मार्ग दर्शन हेतु बना दिए गए थे ।

2. राज्य में सोसाइटियों का रजिस्ट्रीकरण व विनियमन अधिनियम, 2012 रजिस्ट्रार जनरल, स्टेट रजिस्ट्रार व जिला रजिस्ट्रार के माध्यम से लागू किया जा रहा है। लागू करने के आरम्भिक समय के दौरान सम्बन्धित माध्यमों से विभिन्न प्रश्न व पुनर्निवेशन प्राप्त हुए थे जिनमें कि प्रावधानों को लागू करने में आई कठिनाइयों का वर्णन किया गया था।

3. उपरोक्त प्रश्न व पुनर्निवेशन विचार विर्मश के पश्चात् यह आवश्यक समझा गया कि अधिनियम उद्देश्यों के अनुरूप लाने के लिए आवश्यकता अनुसार संशोधित किया जाए।

4. यह बिल हरियाणा राज्य में इस नियम के अन्तर्गत पंजिकृत समितियों के प्रशासन व प्रबन्धन को चलाने हेतु स्पष्ट निर्देशों को प्रदान करने के उद्देश्य से एक बेहतर साधन की स्थापना करने के लिए आवश्यक संशोधन प्रदान करता है ।

रणदीप सिंह सुरजेवाला,
उद्योग एवं वाणिज्य मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ :
दिनांक 8 सितम्बर, 2013.

सुमित कुमार,
सचिव।